लोक शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2026–27 / 20 भोपाल, दिनांक 6/8/2026

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हायर/हायर सेकेंडरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2026–27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में I

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्र./652–653 भोपाल दिनांक 30.06.2026 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026–27 में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे I कतिपय आवेदकों द्वारा अभ्यावेदन प्रतुत किया गया है कि उनके द्वारा विगत सत्र में कार्य किया गया किन्तु स्कोर कार्ड का वेरीफिकेशन नही होने से उनकी री-जॉइनिंग नहीं हो सकी है I

उक्त परिपेक्ष्य में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अभ्यावेदन के आधार पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत GFMS पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों के प्रोफाइल अपडेशन एवं सत्यापन हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया जा रहा है I अतः निम्नानुसार समयसारणी अनुसार कार्यवाही की जाए –

क्र.	कार्यवाही विवरण	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	प्रोफाइल अपडेशन	आवेदक द्वारा	दिनांक 06-08-2026 से 07-08-2026 (शाम 4 बजे तक)
2	पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन	संकुल प्राचार्य	दिनांक 06-08-2026 से 07-08-2026 (शाम 5 बजे तक)
3	रिक्त पदों का अपडेशन (सत्यापन)	शाला प्रभारी द्वारा	दिनांक 07-08-2026 (शाम 5 बजे तक)
4	शाला विकल्प चयन करना	आवेदक द्वारा	दिनांक 07-08-2026 से दिनांक 09-08-2026 तक

शाला प्रभारी यह सुनिश्चित करे की अपडेट की गई रिक्ति का भलीभांति परीक्षण कर लिया है यदि कोई भी रिक्ति त्रुटिपूर्ण अपडेट नहीं है , रिक्ति अपडेशन का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है इसके उपरांत भी रिक्ति अपडेट नहीं की जाती है तो यह माना जायेगा की विद्यालय में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है I

अपर संचालक

लोक शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./ अतिथि शिक्षक /2026–27 / 21 भोपाल, दिनांक 6/8/2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. महाप्रबंधक निक्सी , सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
5. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।

अपर संचालक

लोक शिक्षा, मध्यप्रदेश